

7. **Amendment of Appendix VIII.**- In Appendix VIII appended to the said rules,-

(i) in sub-clause (ii) of clause (22), the existing expression ", Service Book" shall be deleted; and

(ii) in clause (27), the existing expression "alongwith the Service Book duly completed and any other documents" shall be deleted.

8. **Amendment of Form 8.**- The existing serial number 5 and entries thereto of List of Enclosures of Form 8 appended to the said rules shall be deleted.

9. **Amendment of Form 19.**- The existing serial number 2 and entries thereto of List of enclosures of Form 19 appended to the said rules shall be deleted.

10. **Substitution of Form 33.**- The existing Form 33 appended to the said rules shall be substituted by the following, namely:-

**"FORM NO. 33
FORM FOR SANCTIONING PROVISIONAL
PENSION/FAMILY PENSION AND
RETIREMENT/DEATH GRATUITY
(See Rule 86, 90 and 99)**

- | | | |
|----|--|---------------------------------------|
| 1. | Name of the Government servant | |
| 2. | Father's Name (and also husband's name in the case of a female Government servant) | Photograph attested by Head of Office |
| 3. | Date of birth (by Christian era) | |
| 4. | Permanent residential address | |
| 5. | Present or last appointment including name of establishment: | |
| | (i) Substantive | |
| | (ii) Officiating, if any. | |
| 6. | Date of beginning of service | |
| 7. | Date of ending of service/Date of Death (For Family Pension) | |
| 8. | Total qualifying service which counts for pension. | |
| 9. | Emoluments reckoning for Pension and Gratuity. | |

10. Amount of Pension:

PART-I

Emoluments last drawn	2	x	Completed six monthly period of qualifying service (Maximum 56)	56	
					= Pension Amount

T-1512

11. Amount of Retirement gratuity:

Emoluments last drawn	$\times$	Completed six monthly period of qualifying service	$=$	Amount of retirement gratuity
		4		

OR

16½ times of emoluments at the time of retirement, whichever is less (This amount should not exceed the maximum ceiling prescribed under these rules.).

12. Provisional Pension = 100% of amount arrived at item No.10.

13. Provisional Gratuity = Rs....

1. Upto 75% of the amount arrived at item No.11 if no amount of HIBA has been set apart for recovery out of gratuity otherwise not exceeding 20%
(as per rule 86)

2. Upto 50% of the amount arrived at item No.11 if no amount of HIBA has been set apart for recovery out of gratuity otherwise not exceeding 20%
(as per rule 90)

14. (a) Details of amount recoverable from gratuity under sub-rule (3) of rule 94

= Rs.....

(b) Net amount payable of provisional Gratuity (item No.13 minus item No.14(a))

= Rs.....

PART-II

15. Amount of Family Pension

- (i) Emoluments at the time of death
- (ii) Minimum Family pension as per rules
- (iii) Family pension (whichever higher between (i) or (ii) above

$\times$ 30 percent = Rs.....

= Rs.....

= Rs.....

= Rs.....

16. Amount of family pension at enhanced rates (if service rendered is 7 years or more)

- (a) (i) Fifty percent of emoluments

= Rs.....

1218124

(ii) Double the amount of pension determined at item No.15(i) above = Rs.....

Amount of family pension at enhanced rate (amount of (i) or (ii) whichever is less) = Rs.....

(b) where workmen's Compensation Act is applicable = Rs.....

(i) Fifty percent of emoluments = Rs.....

(ii) One and half time the amount of pension determined at item No.15 (i) above = Rs.....

Amount of Family pension at enhanced rate (amount at (i) or (ii) whichever is less) = Rs.....

Note:- The amount under (a) or (b) shall not exceed as per applicable rules.

17. **Amount of Death Gratuity**
Length of qualifying service:

Less than one year emoluments X 2 = Rs.....

One year or more but less than five years emoluments X 6 = Rs.....

Five years or more but less than twenty years emoluments X 12 = Rs.....

Twenty years or more half of emoluments X completed six monthly period of qualifying service subject to maximum of 33 times of emoluments. = Rs.....

Note: This amount should not exceed the maximum ceiling prescribed under rule 55 of the RCS (Pension) Rules, 1996.

18. Provisional Family Pension = 100% of amount determining at item No.15/16 as the case may be.

19. Provisional Death Gratuity = 75% of amount determined at item No.17.

20. Details of amount recoverable Out of Gratuity under sub-rule (4) of rule 98 = Rs.....

21. Net amount payable of provisional Death Gratuity (item No.19 minus item No.20) = Rs.....

12/5/21

PART III

In exercise of the powers conferred under rule of the Rajasthan Civil Services (Pension) Rules, 1996, the undersigned having satisfied that the pension case has been sent/not sent to the Director, Pension Department and the same has not been finalized so far hereby sanction the provisional pension/family pension w.e.f.as above in Part I/II and Provisional Retirement/Death Gratuity to Shri/Smt./Ku.

Signature Designation of the

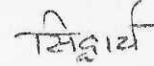
Head of Office with Rubber Stamp

Copy forwarded to the-

1. Director, Pension Department, Rajasthan, Jaipur.
2. Concerned Head of Department.
3. Sh./Smt./Ku.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.

Signature and Seal of Head of Office"

By Order of the Governor,



(Siddharth Mahajan)

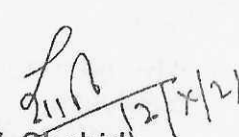
Secretary to the Government.

Copy forwarded to the -

1. Secretary to Hon'ble Governor
2. Principal Secretary to Hon'ble Chief Minister
3. All Special Assistants / Private Secretaries to Ministers / State Ministers
4. All Additional Chief Secretaries/ Principal Secretaries/ Secretaries/ Special Secretaries to the Government
5. Senior DS to Chief Secretary
6. Accountant General, Rajasthan, Jaipur
7. All Heads of the Departments
8. Director, Treasuries & Accounts, Rajasthan, Jaipur
9. Deputy Director (Statistics), Chief Ministers' Office
10. All Treasury Officers
11. All Sections of the Secretariat
12. Administrative Reforms (Gr.7)
13. Vidhi Rachana Sanghathan for Hindi translation
14. Technical Director, Finance Department (Computer Cell)
15. Guard File

Copy also to the -

1. Secretary, Rajasthan Legislative Assembly, Jaipur
2. Registrar General, Rajasthan High Court, Jodhpur / Jaipur
3. Secretary, Rajasthan Public Service Commission, Ajmer
4. Secretary, Lokayukta Sachivalaya, Rajasthan, Jaipur


(S.Z. Shahid)

Joint Secretary to the Government

(Pension 07 / 2021)

जीवन प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने पेंशनर (पेंशनर का नाम)
जो पेंशन भुगतान आदेश संख्या का धारक है एवं जिनका खाता संख्या
XXXXXXX..... (अंतिम चार अंक) है, को देखा है एवं वह इस तारीख को जीवित है।

हस्ताक्षर पेंशनर

स्थान :-

तारीख :-

नाम :-

प्राधिकृत अधिकारी का पद (मुहर)

आय का घोषणा – पत्र

आवेदन सम्बन्धी आवश्यक सूचना (वैकल्पिक बिन्दु ☒ से चयन करें)

नवीनतम फोटो
चिपकायें

01. प्रार्थी का नाम :
02. पिता का नाम :
03. निवास स्थान का पूर्ण पता :-
 (क) वर्तमान पता :
 (ख) स्थाई पता :
04. गांव / शहर तहसील जिला
05. जन्म दिनांक जन्म स्थान उम्र
06. लिंग पुरुष ☐ महिला ☐ वैवाहिक स्थिति विवाहित ☐ अविवाहित ☐
07. धर्म (आवेदक) जाति उपजाति
08. क्या आप / आपका परिवार राजस्थान के मूल निवासी हैं ? हाँ ☐ नहीं ☐
09. क्या आप आयकर दाता हैं ? हाँ ☐ नहीं ☐
10. मोबाईल नम्बर
11. पेन कार्ड होने की दशा में पेन कार्ड नम्बर एवं आयकर विभाग की रिटर्न की अद्यतन प्रति संलग्न करें।
12. टिन नम्बर होने की दशा में टिन नम्बर एवं वाणिज्य कर विभाग की रिटर्न की अद्यतन प्रति संलग्न करें।
13. परिवार के सदस्य व उनकी वार्षिक आय का विवरण :-

क्र. स.	सदस्य का नाम	उम्र	मुखिया से सम्बन्ध	आय/व्यवसाय व उसकी प्रकृति	वार्षिक आय (रुपये)

अन्य स्रोत से आय (यथा मकान किराया, ब्याज, पेंशन, शेयर, म्यूचुअल फण्ड)

14. उक्त तथ्यों के सत्यापन स्वरूप दो उत्तदायी व्यक्तियों की साक्ष्य प्रमाण पत्र एवं स्वयं का शपथ पत्र संलग्न करें।

मैं तस्दीक करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही हैं ।

दिनांक :

स्थान :

प्रार्थी के हस्ताक्षर

परिशिष्ट - जे

शपथ पत्र

नवीनतम फोटो
विपकार्ये

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री

उम्र..... वर्ष, निवासीतहसीलजिला

राज्य शपथ पूर्वक निम्न बयान करता /करती हूं कि -

01. यह है कि मुझे व मेरे परिवार की वार्षिक आय (वर्ष) के प्रमाण स्वरूप में उद्घोषणा करती है ।

02. यह है कि मुझे व मेरे परिवार की वार्षिक आय (वर्ष) के तथ्यात्मक जानकारी निम्नानुसार है -

क्र.स.	परिवार के सदस्य का नाम	व्यवसाय	प्रार्थी से सम्बन्ध	वार्षिक आय (रुपये में)
1	2	3	4	5
	योग			

03. यह है कि मेरे परिवार के सदस्यों द्वारा धारित भूमि / व नेशनल शेयर के धारित कुल भूमि का विवरण इस प्रकार है -

गांव का नाम	तहसील	खसरा नम्बर	रकबा	सिंचित/असिंचित	वार्षिक आय
1	2	3	4	5	6

04. यह है कि मेरे परिवार में अन्य स्रोत से आय निम्न प्रकार है -

क्र.स.	आय के अन्य स्रोत (यथा भवन सम्पत्ति किराया, ब्याज, पेंशन, शेयर, म्यूच्यूलफण्ड आदि से आय)	वार्षिक आय
1	2	3
	कुल समस्त वार्षिक आय	चरण(पैरा) 2,3,4 का योग

05. यह है कि मैं शपथ पूर्वक घोषित करता / करती हूँ कि उपरोक्तानुसार मेरे परिवार की कुल/ समस्त वार्षिक आय रुपये अक्षरे रुपये हैं।

06. यह है कि मैं शपथ पूर्वक घोषित करता / करती हूँ कि मेरे परिवार के किसी सदस्य ने विगत में उक्त अंकित वार्षिक आय से भिन्न आय किसी प्रयोजनार्थ नहीं दर्शायी है तथा नहीं इस बाबत कोई आय प्रमाण पत्र प्राप्त किया है।

07. यह है कि मैं शपथ पूर्वक घोषित करता / करती हूँ कि यह तथ्य मेरी जानकारी में है कि इस शपथ पत्र में अंकित तथ्य एवं शपथ पूर्वक उद्घोषित वार्षिक आय का गलत अथवा मिथ्या होना भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि शपथ पत्र की चरण संख्या 1 से 7 मेरी निजी जानकारी से लिखाया गया है जो सही है ! इसमें कोई तथ्य नहीं छुपाया गया है और न ही असत्य लिखा है । ईश्वर साक्षी है।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

हस्ताक्षर पहचानकर्ता

1.

2.

(नाम, पता, स्थान व दिनांक सहित)

प्रमाणीकरण

उपरोक्त शपथकर्ता नाम पिता का नाम
जाति उम्र वर्ष , निवासी ने मेरे समक्ष
उपरिथत होकर शपथपूर्वक उक्तानुसार अभिकथन किया है जिसे प्रमाणीकृत किया जाता है। प्रार्थी की
पहचान के द्वारा की गई है।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर

प्रमाणीकरण अधिकारी (कार्यपालक मजिस्ट्रेट/नोटरीपब्लिक)

का नाम व पद मय सील

उत्तरदायी व्यक्तियों के साक्ष्य प्रमाण पत्र

(i) गवाह *

मैं..... पुत्र/पुत्री श्री
 निवासी
 विभाग का नाम पद.....
 पर कार्यरत हूँ एवं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि
 प्रार्थी /प्रार्थीया पुत्र/पुत्री श्री
 निवासी
 को भली प्रकार जानता हूँ इनकी वार्षिक आय रुपये है, इसके अलावा प्रार्थी
 के पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है।

हस्ताक्षर/उत्तरदायी गवाह
 नाम दिनांक

(ii) गवाह *

मैं..... पुत्र/पुत्री श्री
 निवासी
 विभाग का नाम पद.....
 पर कार्यरत हूँ एवं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि
 प्रार्थी /प्रार्थीया पुत्र/पुत्री श्री
 निवासी
 को भली प्रकार जानता हूँ इनकी वार्षिक आय रुपये है, इसके अलावा प्रार्थी
 के पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है।

हस्ताक्षर/उत्तरदायी गवाह
 नाम दिनांक

नोट:- आवेदक की नवीनतम फोटो जिसे आवेदन पत्र में दिये गये स्थान पर विपकार्ण (स्टेपल नहीं करना है) तथा उसे अभिशंषा करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति से सत्यापित करावें।

* उत्तरदायी व्यक्ति यथा - ससंद सदस्य/विधानसभा सदस्य/राजपत्रित अधिकारी/ जिला प्रमुख/प्रधान/ प्रधान जिला परिषद सदस्य/ग्राम सेवक/पटवारी/ महापौर/नगर निगम सदस्य/नगर पालिका सदस्य/ स्कूल के हेडमास्टर/ सम्बन्धित पी.एच.सी./ सी.एच.सी. के चिकित्सक/ वी.डी.ओ./ सहायक अभियन्ता।

APPLICATION FOR CONSOLIDATION / REVISION OF PRE-01.09.2006
PENSION / FAMILY PENSION

(To be submitted in duplicate)

To,
The _____,
(Pension Disbursing Authority)

Subject : Revision of Pension and / or Family Pension in terms of Finance
Department Order No. F.12(3)FD(Rules)/2008 dated 12.09.2008.

Sir,

Kindly revise my pension and / or family pension entitlement shown in my PPO/
FPPO, in terms of the above mentioned order. The pensioners' half of PPO / FPPO is
enclosed. The requisite particulars are given below: -

1. Name of the applicant in block letters and full postal address.
2. Type of pension admissible.
3. Date of retirement/ date of death of the Government employee.
4. (a) Name of the deceased Government servant / pensioner in case of family pension
(Applicable only in cases where the applicant is a family pensioner)
(b) Relation of applicant with the deceased employee / pensioner.
5. Date from which pension / family pension is being drawn.
6. Pension Payment Order (PPO) No.
7. Saving Bank Account No. and Name of the Bank

Witness :

Yours faithfully,

(Pensioner)

(Gazetted Officer)

NOTE : One copy to be retained by the Bank and one copy to be forwarded to the
Pension Payment Officer/ Treasury Officer alongwith both the halves of
PPO.

आवदन - पत्र

निदेशक / सयक्त निदेशक,

पंशन एव पंशनस वलफयर विभाग / क्षेत्रीय कार्यालय,

विषय:- 80 वर्ष या अधिक आयु प्राप्त पारिवारिक पंशनर क अतिरिक्त पारिवारिक पंशन अधिकत करन हत, राज्य सरकार क ज्ञापन संख्या एफ.12(3)वित्त नियम 2008 दिनांक 30.6.09 क अन्तगत जन्म तिथि अंकित करन बाबत ।

महादय,

उपयुक्त विषय म निम्नांकित विवरण / दस्तावज पस्तत ह-

1.(अ) आवदक का नाम व वर्तमान पता _____

(ब) कमचारी / पंशनर का नाम _____

(स) पंशन / पारिवारिक पंशन भुगतान आदेश संख्या _____

(द) सवानिवृति की तिथि / सवा म रहत मृत्यु की तिथि _____

(फ) कार्यालय का नाम जहां स सवानिवृति हुई ह _____

2.(अ) पंशनर क पति / पत्नि का नाम _____

(ब) कार्यालय का नाम जहां स पारिवारिक पंशन प्राप्त की जा रही ह _____

3. जन्म तिथि क पमाण म निम्नांकित दस्तावज सलग्न ह:- (कपया, नीच वर्णित निदेशा का ध्यान म रखत हय सलग्न दस्तावज पर पर सही का निशान लगाव। कवल एक ही दस्तावज चाहिय।)

(अ) शिक्षण संस्थान का पमाण पत्र

अथवा

(ब) मंडिकल डायरी / पासपोर्ट / पैन कार्ड / डाइविंग लाइसेन्स / निवाचन पहचान पत्र / राशनकार्ड (उक्त सभी कागजात दिनांक 12.9.2008 स पहल क जारी किय हय हान चाहिय) की पमाणित फाटा पति।

अथवा

(स) उपखण्ड मजि0 / न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित शपथ पत्र जिसम जन्म तिथि का सत्यापन ह। कपया, जन्म तिथि अंकित करन का श्रम कर ।

भवदीय,

नाट:- 1. उक्त कमाक 3 म अ,ब,स म स (अ) म वर्णित दस्तावज नही हान पर (ब) म वर्णित दस्तावज एव (ब) म वर्णित दस्तावज नही हान पर ही (स) का दस्तावज सलग्न करना ह।

2. पंशन / पारि0 पंशन भुगतान आदेश की पमाणित फाटा पति सलग्न की जानी आवश्यक ह, जिसम पारि0 पंशन पारम्भ करन का उल्लेख हा ।

3. जिस कार्यालय स पी0पी0आ / एफ.पी0पी0आ जारी हुआ ह, आवदन उसी कार्यालय का भिजवाया जाना ह । किन्तु, दिनांक 1.9.88 स पूर्व की सवा निवृति क मामल म आवदन उस कार्यालय का भजना ह, जहां स पी-88 सशाधित अधिकति जारी हुई हा ।